उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

संख्याः35/2016/वे0आ0-2-814/दस-2016-33वि0वे0नि0(प्रकोष्ठ)/2014

लखनऊ:दिनांक 06 जुलाई, 2016

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

वित्त(वेतन आयोग)अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-25/2016/वे0आ0-2-558/दस-08(मु0स0स0)/2008 टी0सी0, दिनांक 12 मई, 2016 द्वारा उ0प्र0 सचिवालय के कार्मिकों के सचिवालय भत्ते की दरों में वृद्धि किये जाने विषयक लिये गये निर्णय के क्रम में सचिवालय प्रशासन अनुभाग-1(अधि0) द्वारा कार्यालय ज्ञाप सं0-531/बीस-1-ई-2016-515(1)/88टी0सी0 दिनांक 13 मई, 2016 निर्गत किया गया है।

2- उपर्युक्त निर्णय के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्त(वेतन आयोग)अनुभाग-2 के अंतर्गत गठित वेतन समिति/मुख्य सचिव समिति एवं वित्त वेतनमान(नियमावली एवं विधि)प्रकोष्ठ के कार्मिकों को मिल रहे सचिवालय भत्ते की दरों में दिनांक 13 मई, 2016 से 25 प्रतिशत की वृद्धि (10 के गुणक में पूर्णांकित करते हुये) निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित पदधारकों को स्तम्भ-3 के अनुसार वर्तमान में अनुमन्य सचिवालय विशेष भत्ते की दरों को सतम्भ-4 के अनुसार संशोधित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान करते हैं कि इसका समायोजन राज्य में गठित होने वाली वेतन समिति की संस्तुतियों पर सचिवालय भत्ते की दरों में पुनरीक्षण के समय कर लिया जायेगाः-

क्र0 सं0	**पदनाम**	**वर्तमान में अनुमन्य सचिवालय विशेष भत्ते की दरें (रू0 में)**	**25 प्रतिशत की वृद्धि 10 के गुणक में पूर्णांकित किये जाने के उपरान्त संशोधित दरें (रू0 में)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1	वरिष्ठ परामर्शदाता	1650	2070
2	वरिष्ठ शोध अधिकारी/ विशेष कार्याधिकारी	1550	1940

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3	शोध अधिकारी	1500	1880
4	अपरसांख्यिकीय अधिकारी	1200	1500
5	लेखाकार-कम-कोषाध्यक्ष/ समीक्षा अधिकारी	1200	1500
6	सहायक समीक्षा अधिकारी	850	1070
7	कम्प्यूटर सहायक	700	880
8	अनु सेवक	625	790

3- उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि सहायक समीक्षा अधिकारी के पद को मिल रहे सचिवालय भत्ते के अंश रू0 400/-- को उसके ग्रेड वेतन में सम्मिलित कर ग्रेड वेतन रू0 4600/- अभी अनुमन्य नहीं कराया गया है और उसके पदधारक अभी ग्रेड वेतन 4200/- में कार्यरत हैं। अतः इनके पदधारकों को संशोधित सचिवालय भत्ता रू0 1070/- ही देय होगा।

अजय अग्रवाल
सचिव।

संख्याः35/2016/वे0आ0-2-814(1)/दस-2016-33वि0वे0नि0(प्रकोष्ठ)/2014,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।

(2) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(3) आहरण वितरण अधिकारी, मुख्य सचिव समिति एवं वित्त वेतनमान(नियमावली एवं विधि)प्रकोष्ठ

(4) लेखाकार, मुख्य सचिव समिति एवं वित्त वेतनमान(नियमावली एवं विधि)प्रकोष्ठ, दो प्रतियाँ।

(5) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
रमेश कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।